न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 131 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मिसरी पुत्र समेला
2. मोहन पुत्र समेला
3. चैना पुत्र समेला
4. वीरमा पुत्र समेला
5. स्वर्गीय करमसी पुत्र केसरा के वारीसान
   5/1सोनाराम पुत्र करमसी
   5/2सामाराम पुत्र करमसी
   5/3रूपाराम पुत्र करमसी
   5/4पारू बेवा करमसी
6. नागजी पुत्र अचला
7. रावता पुत्र देरामा जाति कोली निवासी समरखा सेड़वा।
8. रेशमा जोजे रावताराम जाति कोली निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.अलु पुत्र फादल जाति मुसलमान निवासी सेड़वा 2.तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर। 3.विश्राम पुत्र आदू 4.प्रेमा पुत्र आदू 5.ठाकरा पुत्र आदू 6.राणा पुत्र दूदा 7.अजा पुत्र दूदा जाति हरिजन निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 80/2010 बअनवान अलू बनाम मिश्री वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांक:- 09.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 वादी ने विचरण न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सेड़वा में उसकी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 159 रकबा 21–22 ओजाण का आया है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने इस खातेदारी के खेत खसरा संख्या 159 का रैकर्ड में रकबा मात्र 20.04 बीघा कायम किया तथा वादी का शेष रकबा पडौसी बिला कब्जा खसरा संख्या 160 में मिलाकर सरकारी भूमि दर्ज कर दी, यह भी 160 का मौके पर रकबा एक हजार से भी अधिक है। वादी के पिता स्वर्गीय फादल को भू–प्रबन्ध की इस रकबा कायमी की त्रुटि का ज्ञान हुआ तो उसने अंतर के रकबे की खातेदारी घोषणा का एक वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में संख्या 215/1977 पेश किया और उस वाद में दिनांक 28.12.1978 को रकबा 90 बीघा की डिक्री प्राप्त की यह डिक्री सरकारी खसरा संख्या 160 में पारित हुई तथा इस खातेदारी के रकबे को खसरा संख्या 160 से कम करने के आदेश पारित हुए। वाद संख्या 215/1977 में पारित डिक्री का वादी या उसके पुत्र के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला गया तथा सन 2002 में कागजी आवंटन किये गये व निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण/अपीलांट के पक्ष में किये नियमन/आवंटन को निरस्त कर पूर्व में पारित डिक्री सुदा खसरा संख्या 160 में रकबा 90 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित किया जावे। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2013 से वादी/उतरदाता संख्या 01 का वाद स्वीकार कर पूर्वानुसार उसे मौजा सेड़वा के खसरा संख्या 160 में से रकबा 90 बीघा का खातेदार घोषित कर दिया। करीब 10 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटस को अपीलाधीन आराजी से हट जाने व कब्जा उतरदाता को सौपने का कहा और जब उसे इसका कारण पूछा तो उसने अपीलांटस की भूमि की डिक्री अपने पक्ष में जारी होना बताया। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त की तथा उससे व्यथित होकन अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने की आवश्यकता हुई। समस्त अपीलांटस आरक्षित अनुसुचित जाति के सदस्य है तथा अपीलाधीन आराजी के खातेदार है। स्वयं उतरदाता वादी स्वर्ण जाति का है न्याय दृष्टांतों की एक लम्बी श्रृंखला है जिसके अनुसार अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी जोत की डिक्री सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं दी जा सकती है। ऐसा करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रतिकूल है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस मत को ताक पर रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि समस्त अपीलांटस आरक्षित अनुसुचित जाति के सदस्य है तथा अपीलाधीन आराजी के खातेदार है। स्वयं उतरदाता वादी स्वर्ण जाति का है। न्याय–दृष्टांतों की एक लम्बी श्रृंखला है जिसके अनुसार अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी जोत की डिक्री सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं दी जा सकती है। ऐसा करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रतिकूल है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस मत को ताक पर रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित की है। अपीलाधीन डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 09 स्वर्गीय आदु के वारीसान अनावश्यक पक्षकार जोड़े गये है जिन्होने अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 160/3 रकबा 42 बीघा जो अपीलाधीन है; का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 20.05.2004 को श्रीमती रेशमा को कर दिया था और जिसका रैकर्ड खातेदारी में अंकन भी हो चुका था। वाद में श्रीमती रेशमा आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया है अतः अपूर्ण पक्षकार के कारण पारित अपीलाधीन डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट पैमाईश के समय के खातेदार नहीं है। उन्हे वादी की डिक्री सुदा भूमि में से भूमि आवंटन की गई है इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 42(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नाहक उल्लेख किया गया है ऐसा केवल अदालत हाजा को भ्रमित करने के लिए किया गया है। मृत व्यक्ति की सूचना देना पक्षकारों के अभिभाषक का दायित्व था इसके अतिरिक्त करमसी के जिन्दा रहते भी निर्णय वही पारित होता जो हुआ है। स्वर्गीय आदू के वारिसान को जोड़ना आवश्यक था। उनके द्वारा भूमि का बैचान होने का ज्ञान रेस्पोडेंट को नहीं था, इस प्रकार विक्रेता रेकर्ड पर था। इस आधार पर डिक्री गैरकानूनी नहीं हो जाती है। रेस्पोडेंट के पक्ष में जब प्रकरण संख्या 215/1977 के द्वारा विवादग्रस्त आराजी की 90 बीघा डिक्री पारित की जा चुकी थी जो उसके बाद रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि को आवंटन किया ही नहीं जा सकता था। यह अधीनस्थ अधिकारियों की त्रुटि थी कि रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित डिक्री की पालना उनके द्वारा नहीं की गई तथा रेस्पोडेंट के हकूकों पर आघात पहुंचाने के लिए विवादग्रस्त आवंटन कर दिये गये जिसके सम्बन्ध में अदालत हाजा द्वारा उचित कार्यवाही की जाना वांछित है। विवादित तमाम आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही होने का अपीलांटस को अपील प्रस्तुति के दिन तक अपने अधिवक्ता से नहीं मिली। अपीलांट घरेलु कार्य से चौहटन मुख्यालय पर आया तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो इस निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा उसकी नकलो हेतु आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कर दिनांक 29.10.2013 को नकले प्राप्त होने पर निर्णय की स्थिति का ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। वैसे भी विधि विरूद्ध आदेश की अपील प्रस्तुति हेतु मियांद बाधक नहीं है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के द्वारा अपील देरी से पेश की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन का वर्णन देकर उचित कारण बताना होता है। अपीलांटस ने अपील पेश करने में हुए विलंब का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2007(2) Page 939
CCC 2011(1) Page 719(Allahabad)
DNJ 2011(2) Page 903 (Raj)
RRT 2014(2) Page 1331 (SC)

अतः लिमिटेशन के आधार पर अपीलाट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा की गई देरी सद्भाविक है। अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकने के अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय विधि की दृष्टि में दूषित है। वाद में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन का अभाव, अनावश्यक पक्षकारों का विलोपन, मृत पक्षकार के विधि–वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का अभाव, वादग्रस्त भूमि की मौके पर कब्जा–काश्त संबंधी साक्ष्य वादग्रस्त भूमि के संबंध में डिक्री/निर्णय के प्रभावी रहते पुनः प्रस्तुत दावा की पोषणीयता धारा 42(ख) के प्रावधानों के आलोक में खातेदारी घोषणा दिये जाने का परीक्षण इत्यादि विधिक बिंदुओं का निर्धारण होना शेष है।

लिहाजा मामला अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 86/2010 बअनवान अलू बनाम मिश्री वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय विधिक प्रावधानों के तहत उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner